

फर्द अहकाम

नियम 28

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजपथ) भादसा मुकाम भादसा
प्रतापरिंह बन्नाम कमला आदि

किस्म मुकदमा 88-89 आरटीएक्ट नं० 151/04.07.22 रान 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गय इनीशियल जज	नम्बर न अक्षय फर्द अहकाम की हुक्म की तारीख जारी हुअ
04-07-22	<p>आज यह प्रकरण जरिये वकील वादी की ओर से पेश किया गया। रिपोर्ट सिग्नेदार होने के बाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मान से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 23.08.2022 को पेश हो।</p> <p>23/8/22 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी... दिनांक... को पेश हो।</p> <p>28/9/22 वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप पत्रावली गत आदेशानुसार वारते... दिनांक... को पेश हो।</p> <p>20/10/22 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी... दिनांक... को पेश हो।</p> <p>15/12/22 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी... दिनांक... को पेश हो।</p> <p>08/3/23 पत्रावली पेश हुई कार... कार्य स्थगित है। गत आदेशानुसार पत्रावली दिनांक... को पेश हो।</p> <p>19/01/23 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी... दिनांक... को पेश हो।</p> <p>28/06/23 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली वारते तलबी प्रतिवादीगण दिनांक 28/08/23 को पेश हो।</p>	



28/08/23

पत्रावली पेस हुई। वकील-वारी उपस्थित।
पत्रावली वाले लाली प्रतिवादीगण दिनांक
31/10/23 को पेस को।

31/10/23

पत्रावली पेस हुई। वकील-वारी उपस्थित।
पत्रावली वाले लाली प्रतिवादीगण दिनांक
24/11/23 को पेस को।

24/11/23

पत्रावली पेस हुई। वकील-वारी उपस्थित।
अधिकारी... पुताव... दिनांक...
दिनांक... 08/12/23 को पेस को।

5/1/24

पत्रावली पेस हुई। वकील-वारी उपस्थित।
अधिकारी... अलग अलग में उपस्थित।
दिनांक... 10/1/24 को पेस को।

13/1/24

पत्रावली आज 10/1/24 को पेस को। वकील-वारी उपस्थित।
धैरे धैरे पेस में ही गई। पत्रावली
में वकील-वारी व वारी लाली उपस्थित
नहीं। बार-बार आवाज लगायी गई।
अधिकारी नहीं होते व पत्रावली
अधिकारी अदालत में पत्रावली
स्वीकार नहीं जाती व पत्रावली-गण
में वकील-वारी उपस्थित नहीं।